Annexure-1

Kio8158 · 31

(358)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 458 /एमपी/2013

दिनांक : 17-4-2013

मानचित्र संख्या 961/जोन-5/2012-13

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मै. सामग कन्सट्रक्शन लि0 (कन्सॉर्शियम),
बी-72, सैक्टर-57,
नोयडा - 201301.

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर बम्हेटा में वयोस्क हेतु मानचित्र संख्या 961/जोन-5/2012-13 दिनांक 02.03.13 के माध्यम से आप द्वारा प्रस्तुत 31 वयोस्क के मानचित्र प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 01.04.13 को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है-

1. मानचित्र की वैद्यता स्वीकृति की दिनांक से 5 वर्ष है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय (जैसे-नगर निगम, जी.डी.ए.) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके। समस्त निर्माण/ विकास कार्य स्वीकृत मानचित्रों, स्पेसीफिकेशन तथा अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार ही कराना होगा।
5. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्तें भी मान्य होंगी।
6. पर्यावरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य व वन नीति एवं अधिनियम तथा भवन उपविधि-2008 के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 01.03.13 का पालन करना होगा।
8. मानचित्र की स्वीकृति विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी जा रही है। भू-स्वामित्व हेतु प्रस्तुत अभिलेखों एवं साक्ष्यों के विपरीत कोई तथ्य पाया जाता है अथवा कोई विवाद होता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माणकर्ता/ विकासकर्ता कम्पनी की स्वयं की होगी।
9. इन्टीग्रेटिड टाउनशिप नीति 21.05.2005 एवं शासनादेश दि. 28.11.2006 के अनुसार योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै0 सामग कन्स. लि. (कन्सोर्सियम) का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे। परियोजना

For Samag ...

Authorised Signatory

क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यों की पूर्णता हेतु रूपये 4.75 करोड़ की बैंक गारण्टी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में डवलपमेंट एग्रीमेंट के समय प्राधिकरण में जमा की गयी है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 18.02.2014 तक है, जो आवश्यकता अनुसार बढ़वानी होगी।

10. प्रस्तावित भवन में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रू. 1,00,000/- की जमानत राशि जमा करायी जानी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

11. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।

12. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

13. सन्दर्भित भूखण्ड पर 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं मानचित्र में प्रदर्शित खुले क्षेत्र को यथावत रखना होगा एवं उसका रखरखाव भी करना होगा।

14. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

15. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग/निर्माण शमनीय नहीं होगा।

16. वयोस्क की छत पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं है, जिसको खुला रखा जाएगा।

17. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक:-

1- एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

17/4/13
सी.ए.टी.पी.
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पृ.सं.: 1151/ग्रा०एव०वि०/2013 दिनांक: 17-4-2013

प्रतिलिपि:

1- प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सी.ए.टी.पी.
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Kiosk 8-25

(400)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 169 /एम0पी0/2017

दिनांक : 20-3-2017

मानचित्र संख्या : 164/जोन-5/2016-17

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मैसर्स सामग कंस्ट्रक्शन लि0
अधिकृत हस्ताक्षरी श्री दिनेश पाण्डेय,
बी-67 सरिता विहार, नई दिल्ली।

महोदय,

आप द्वारा ग्राम-शाहपुर बम्हैटा में विकसित की जा रही इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत क्योसक के निर्माण हेतु आरक्षित भूखण्ड पर प्रस्तुत क्योसक उपयोगों हेतु मानचित्र प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.12.16 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा।
5. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
6. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
7. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
8. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
9. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
10. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 06.06.2016 का पालन करना होगा।
11. भू-स्वामित्व सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र पर दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
12. संरचना सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दायित्व विकासकर्ता का होगा।
13. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निम्न दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना होगा:-
    i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.

(23)

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

xxi. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).

xxii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नकः एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

पत्रांकः /एम0पी0/2017 दिनांकः

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन-5 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory